अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 05 फाल्गुन, 1947 (श०)
24 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 19

(1)	शिक्षा विभाग	09
(2)	खेल विभाग	05
(3)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	01
(4)	उच्च शिक्षा विभाग	01
(5)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	01
(6)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	01
(7)	खान एवं भूतत्व विभाग	01
	कुल योग --	19

पढ़ाई शुरू कराना

"क"-28. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 बिभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार देश का सबसे आपदा ग्रस्त राज्य है, जो प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ के साथ-साथ चक्रवात, वज्रपात आदि आपदाओं का सामना करता है, बावजूद यहाँ के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में आपदा प्रबन्धन की पढ़ाई नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, भारत सरकार और यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) राज्य सरकार के पत्रांक D.O. No. 2-9/2022(CPP-II), दिनांक 24 फरवरी, 2022 द्वारा आपदा प्रबन्धन की पढ़ाई शुरू करने हेतु सिलेबस तैयार करने का आग्रह की गयी थी, लेकिन अभीतक राज्य स्तर से न ही सिलेबस तैयार की गई और न ही विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सिलेबस तैयार कर आपदा प्रबन्धन की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खरीद अधिमानता नीति, 2024

75. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों एवं उद्यमों को प्राथमिकता देने हेतु बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 लागू कर दी गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस नीति के तहत अबतक कितनी राशि की खरीद की गयी और कितने स्थानीय उद्यम इससे लाभान्वित हुए हैं, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजन पर विचार

76. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 1972 में ही शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया था, जबकि राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 1972 से छात्र एवं छात्राओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पारम्परिक विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की भाँति वर्तमान छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के नये पद सृजित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का अधिष्ठापन

77. श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के तहत सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और भस्मक के अधिष्ठापन का प्रावधान है, इसके बावजूद अधिकतर विद्यालयों में यह मशीन अधिष्ठापित ही नहीं है और जहाँ है भी तो कार्यशील नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 'मासिक धर्म-स्वास्थ्य और स्वच्छता' संविधान के अनुच्छेद, 21 'जीवन और गरिमा का अधिकार' के तहत एक मौलिक अधिकार है, साथ ही स्कूलों में संबंधित स्वच्छता उत्पादों, कार्यात्मक शौचालयों व सुरक्षित निपटान महिलाओं के लैंगिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में समानता के लिए आवश्यक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य के विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और भस्मक के अधिष्ठापन एवं इसके नियमित रख-रखाव को सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--"क"-दिनांक 13 फरवरी, 2026 को सदन से स्थगित प्रश्न ।

कम्प्यूटर शिक्षक की बहाली

78. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ग कक्षा 6 से 10 कक्षा तक सभी सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा देने के उद्देश्य से कम्प्यूटर स्थापित की गई है, परंतु किसी भी विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षक की बहाली नहीं की गई है, जिससे न केवल राज्य के हजारों योग्य कम्प्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में हैं बल्कि लाखों छात्र/छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के प्रत्येक विद्यालय में कम-से-कम एक कम्प्यूटर शिक्षक की बहाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

EWS लागू करने हेतु

79. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि STET परीक्षा में आरक्षण का नियम लागू है परन्तु सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नौकरी में 10 प्रतिशत का आरक्षण EWS के रूप में 14 जनवरी, 2019 से लागू किया गया है फिर भी STET परीक्षा में सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र EWS से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार STET परीक्षा में सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए EWS लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इण्डोर स्टेडियम बनाना

80. श्री रणधीर कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजना वर्ष 2025-26 अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की नीति है, जिसमें 374 आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ओलंपिक से मान्यता प्राप्त अनेकों खेल के प्रतियोगिता इण्डोर स्टेडियम/मल्टीपरपस हॉल में खेला जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जिला स्तर पर 20000 स्क्वायर फीट का इण्डोर स्टेडियम गैलरी रहित बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यकारी प्रभार देने का विचार

81. डॉ0 प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 से कार्यरत व्याख्याताओं की 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आपसी वरीयता सूची प्रकाशित नहीं की गई है जिसके कारण सामान्य प्रशासन की अधिसूचना संख्या 19300, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के आलोक में उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त व्याख्याताओं की वरीयता सूची को प्रकाशित करते हुए सामान्य प्रशासन के उक्त अधिसूचना के अधीन उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन बनवाना

82. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन के अभाव और अपने भवन न होने के कारण 5600 से अधिक सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों के साथ टैग कर चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, सरारी पुरब टोला सहित राज्य में 183 ऐसे विद्यालय हैं जो जमीन के अभाव में खुले आसमान या पेड़ के नीचे चलाए जा रहे हैं, फिर भी उक्त विद्यालयों को जमीन चिह्नित कर भवन बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन/भवन के अभाव में दूसरे विद्यालयों में टैग, खुले आसमान या पेड़ के नीचे चल रहे विद्यालयों को भूमि चिह्नित कर कबतक विद्यालयों का भवन बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियमों का रख-रखाव

83. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के 534 प्रखंडों में बनाये जा रहे आउटडोर स्टेडियम जिनका रख-रखाव स्थानीय प्रशासन और खेल विभाग की संयुक्त जिम्मेवारी है, इन स्टेडियमों के रख-रखाव के मुख्य नियम में स्थानीय समितियों का गठन, मैदान की सफाई, उपकरणों का रख-रखाव और उपयोग के लिए समय-सारणी निर्धारित करना शामिल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर अंचल के बेसिक स्कूल, केरवा एवं अंचल पानापुर के उच्च विद्यालय, सतजोड़ा के आउटडोर स्टेडियमों सहित राज्य के अन्य आउटडोर स्टेडियमों का रख-रखाव नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियमों के साथ राज्य के सभी आउटडोर स्टेडियमों के रख-रखाव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध खनन की रोकथाम

84. श्री विमल राजवंशी (क्षेत्र संख्या-235 रजौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खान एवं भूतत्व के द्वारा अवैध खनन पर नियंत्रण, तकनीकी निगरानी एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जा रहे सतत् प्रयासों के बावजूद नवादा जिला के रजौली वन्यप्राणी क्षेत्र एवं आस-पास के इलाकों में अभ्रक खनन से संबंधित चुनौतियाँ सामने आने की सूचना सरकार को है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अवैध खनन की रोकथाम की कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण कराना

85. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के TRE-01 एवं TRE-02 से लगभग लाखों शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत 7410 शिक्षकों से तीन जिला के बाद पुनः तीन अन्य जिला का नाम स्थानांतरण हेतु दिया है, फिर भी डेढ़ वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी 7410 शिक्षकों का स्थानांतरण अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बचे हुये कुल 7410 शिक्षकों का भी स्थानांतरण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खिलाड़ियों की अनुशंसा

86. श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के आलोक में दिनांक 5 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ट्रैगन बोट के खिलाड़ियों की अनुशंसा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के द्वारा नहीं भेजी गई है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2023 (यथा संशोधित) के अनुरूप ड्रैगन बोट के खिलाड़ी सारी अर्हता पूरी करते हैं तथा ड्रैगन बोट के खिलाड़ियों के खेल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन प्रतिवेदन भी प्राप्त हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार ड्रैगन बोट के खिलाड़ियों की अनुशंसा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की बहाली

87. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 10 फरवरी, 2026 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज को एन0बी0ए0 मान्यता नहीं'' के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी, आधुनिक लैब तथा बेहतर आधारभूत संरचना नहीं रहने के कारण बिहार में संचालित किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को एन0बी0ए0 (National Board of Accreditation) की मान्यता नहीं मिली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एन0बी0ए0 की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को विदेश के किसी भी संस्था में दाखिला नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन0बी0ए0 के मानक के अनुरूप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों की बहाली एवं आधारभूत संरचना का विकास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

'कवर्ड शेड' विकसित कराना

88. श्री आनन्द मिश्र (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर के चौसा स्थित SJVN थर्मल पावर प्लांट के लिए किए जा रहे खुले में कोयला डंपिंग से उठने वाली धूल के कारण खिलाफतपुर, नारायणपुर, कनक नारायणपुर, अखोरीपुर, अन्यायीपुर और बनारपुर जैसे दर्जनों गाँवों के नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में दमा, फेफड़ों की बीमारी और आँखों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर वहाँ 'कवर्ड शेड' विकसित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कराना

89. श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालय, कटरिया में 10+2 तक की पढ़ाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है तथा कक्षा रूम के अभाव में एक ही कक्षा में दो-दो, तीन-तीन वर्ग चल रहे हैं, जबकि विद्यालय के पास ही सरकारी जमीन उपलब्ध है जिसमें विद्यालय के भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय, कटरिया का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

90. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "6120 निजी स्कूलों ने नहीं बताया कितने गरीब बच्चों को सीटें देंगे" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों का नामांकन कराना अनिवार्य है, परंतु सहरसा के 43, पटना के 795, पूर्णियाँ के 285, मधेपुरा के 142 सहित राज्य भर के 6120 निजी स्कूलों द्वारा इंटेक क्षमता अपलोड नहीं करने से अभिभावकों को स्कूल चयन में परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार प्रदेश के 6120 निजी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत सीट सार्वजनिक नहीं कराने के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

91. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 में संशोधन कर "मेडल लाओ नौकरी पाओ" योजना लागू किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय और सीनियर स्तर की नेशनल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को ही इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिलने के कारण जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के पलायन का खतरा बढ़ रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीनियर खिलाड़ियों के तर्ज पर "मेडल लाओ नौकरी पाओ" के लाभ का प्रावधान राज्य के जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के लिए भी सुनिश्चित कर पलायन रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा "मेडल लाओ नौकरी पाओ" योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023" का गठन किया गया है ।

उक्त नियमावली में ट्रायल/परीक्षण के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने के लिए तथा सिपाही संवर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति हेतु अर्हताओं में वेतन स्तर 3 (ग्रेड पे 2000) को शामिल करते हुए "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" का गठन किया गया है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ यथा ओलम्पिक खेल/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक प्राप्त खिलाड़ी या इनमें सहभागिता के आधार पर या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ यथा नेशनल गेम्स/अधिकारिक सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ी की सीधी भर्ती करने का प्रावधान है तथा साथ ही नेशनल गेम्स/अधिकारिक सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में सहभागिता के आधार पर मेधावी खिलाड़ियों का ट्रायल/परीक्षण के आधार पर चयन करने का प्रावधान है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना/खिलाड़ी कल्याण कोष एवं खेल सम्मान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं एवं जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिहार से बाहर विभिन्न खेल अकादमी में भेजकर वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को बिहार में बुलाकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कराया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" के नियम 2(क) (ii) की तालिका क्रम संख्या (iv)(ग) के अन्तर्गत "विशेष मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती" के अन्तर्गत चयन समिति ऐसे असाधारण खिलाड़ियों को किसी भी स्तर पर नियुक्ति हेतु विचार कर सकती है, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से राज्य एवं देश का गौरव बढ़ाया हो ।

राज्य सरकार की इन प्रगतिशील योजनाओं के कारण पूर्व में अन्य राज्यों के लिए खेलने वाले बिहार के खिलाड़ी भी पुनः बिहार लौटकर बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

(4) उपर्युक्त खंड (3) में उत्तर सन्निहित है ।

उपकरण की व्यवस्था

92. श्री रणधीर कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के कार्यान्वयन के अन्तर्गत ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरण का अधिवाचन एवं खेल उपकरण का खिलाड़ियों के बीच वितरण करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खेल उपकरण योजना के अन्तर्गत किन-किन खेलों को खेल उपकरण का अधिष्ठापन/उपलब्धता/वितरण करायी गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक खेल तलवारबाजी, उपकरण के अभाव में खेल विद्या में राज्य के लिए प्रगति संतोषप्रद नहीं कर पा रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तलवारबाजी विद्या के लिए कम-से-कम 10 जिलों के लिए उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहेंगी, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 43(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026